रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236272 CG-DL-E-03062022-236272

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2472] No. 2472] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

का.आ. 2599(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीनहै, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चमड़े और अन्य सामग्री से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।
 - (2) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा।
- 2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग-** सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे औरउनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन निर्धारण) विनियम, 2018की अनुसूची-॥ की स्कीम-। के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न लगा होगा:

परंतु इस आदेश का कुछ भी निर्यात की माल या सामग्रीपर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –भारतीय मानक ब्यूरो सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या सामग्री के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

3787 GI/2022 (1)

सारणी

क्र.सं.	माल या सामग्री	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़	आईएस 1989 (भाग 1): 1986	खिनकों के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़ भाग 1 की विनिर्देश
		आईएस 1989 (भाग2): 1986	भारी धातु उद्योग के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़ भाग 2 की विनिर्देश
2.	कैनवास शूज़ रबड़ सोल	आईएस 3735: 1996	कैनवस शूज, रबड़ सोल- विनिर्देश
3.	कैनवास बूट्स रबड़ सोल	आईएस 3736: 1995	कैनवास बूट्स, रबड़ सोल- विनिर्देश
4.	खनिकों के लिए सेफ्टी रबड़ कैनवास बूट्स	आईएस 3976: 2018	खनिकों के लिए सेफ्टी रबड़ कैनवस बूट्स - विनिर्देश
5.	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर	आईएस 11226: 1993	प्रत्यक्ष रूप से ढालेगए (मोल्डेड) रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर- विनिर्देश
6.	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर	आईएस 14544: 1998	प्रत्यक्ष रूप से ढालेगए (मोल्डेड) पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सोल वाले लेदरसेफ्टी फुटवेयर– विनिर्देश
7.	स्पोर्ट्स फुटवेयर	आईएस 15844: 2010	स्पोर्ट्स फुटवेयर - विनिर्देश
8.	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकल टैक्टिकल बूट्स	आईएस 17012: 2018	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकल टैक्टिकल बूट्स – विनिर्देश
9.	एंटीरॉयट शूज़	आईएस 17037: 2018	एंटीरॉयट शूज़– विनिर्देश
10.	डर्बी शूज़	आईएस 17043: 2018	डर्बी शूज़– विनिर्देश

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

> [फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा] राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2022

S.O. 2599(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after

consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Footwear Made from Leather and Other Materials (Quality Control) Order, 2022.
 - (2) It shall come into force with effect from the 1st day of July, 2023.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:
 - Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.
- 3. **Certification and enforcement authority.** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the Table.

TABLE

Sr. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Leather safety boots and shoes	IS 1989 (Part 1): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 1 for miners
		IS 1989 (Part 2): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 2 for heavy metal industries
2.	Canvas Shoes Rubber Sole	IS 3735: 1996	Canvas Shoes, Rubber Sole- Specification
3.	Canvas Boots Rubber Sole	IS 3736: 1995	Canvas Boots, Rubber Sole- Specification
	Safety Rubber Canvas Boots for Miners	IS 3976: 2018	Safety Rubber Canvas Boots for Miners- Specification
	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole	IS 11226: 1993	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole- Specification
	Leather safety footwear with direct moulded polyvinyl chloride (PVC) sole		Leather safety footwear with direct moulded polyvinyl chloride (PVC) sole – Specification
7.	Sports footwear	IS 15844: 2010	Sports Footwear- Specification
	High ankle tactical boots with PU - Rubber sole	IS 17012: 2018	High ankle tactical boots with PU - Rubber Sole – Specification
9.	Anti riot shoes	IS 17037: 2018	Anti riot shoes – Specification
10.	Derby shoes	IS 17043: 2018	Derby shoes – Specification

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards, as amended from time to time, as notified by the Bureau of Indian Standards, shall apply.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.